

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27, 1973/माघ 7, 1894
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27, 1973/MAGHA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 1973

S.O. 44(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 28th date of January, 1973 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Mysore namely :—

District	Taluk	Hubli	Village
Mandya	Sriranga Patna	Belagola	Kuppedada
Mandya	Sriranga Patna	Belagola	Hulikere
Mandya	Sriranga Patna	Belagola	Hongahalli
South Kanara	Coondapur	..	Coondapur Town Limit.
South Kanara	Coondapur	..	Vederhobli Village Coondapur Taluk.

[No. S. 38013 (3)/72-HI]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1973

का० प्रा० 44 (प्र).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनवरी, 1973 के 28वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध मैसूर राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् —

जिला	तालुक	हुबली	गांव
मांड्या	सीरंगा पटना	बेलागोला	कुप्पेडाडा
मांड्या	सीरंगा पटना	बेलागोला	हुलीकेरे
मांड्या	सीरंगा पटना	बेलागोला	होंगाहाल्ली
साउथ कनारा	कूंडापुर	—	कूण्डापुर कस्बा सीमा
साउथ कनारा	कूंडापुर	—	बेडेर होबली कूण्डापुर, तालुक

[सं० एस-38013(3)/72-एच० आई०]

डी० एस० निमि, मयुक्त सचिव ।